कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 515/XXV–12 (1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 25 जनवरी, 2017

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
समस्त जिला निर्वाचन कार्यालय,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री लक्ष्मी नारायण ठाकुर, 11 अशोक रोड़, नई दिल्ली–110001 के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 06 जनवरी, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
BS Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 515 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– श्री लक्ष्मी नारायण ठाकुर, 11 अशोक रोड़, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ प्रेषित।

BS Rawat 24-1-17
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

07/01/2017
दिनांक 6 जनवरी, 2017

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सेवा में,

मुख्य चुनाव आयुक्त एवं लोक सूचना अधिकारी
भारत निर्वाचन आयोग, पार्लियामेंट स्ट्रीयट
नई दिल्ली–110001

भारत निर्वाचन आयोग / Election Commission of India
RTI SECTION
07 JAN 2017
प्राप्त / RECEIVED

विषय – सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन।

महोदय,

कृपया निम्नलिखित प्रश्नों के बिन्दुवार जबाब देने का कष्ट करें।

1. 5 राज्यों (पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और गोवा) में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में क्या मदरसों में पोलिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, यदि है तो इसका पूर्ण विवरण दें।
2. उपरोक्त प्रदेशों में कितने स्कूलों और कॉलेजों में पोलिंग स्टेशन बनाये जा रहे है, उसका सम्पूर्ण विवरण दें।

नोट :– यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग / कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधी में हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताने का कष्ट करें।

Sh. Meena

मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूँ इसलिय सभी देय शुल्क से मुक्त हूँ। **आवेदन के साथ मैं अपने बी.पी.एल. राशन कार्ड की प्रति संलग्न कर रहा हुँ।**
नोट : पत्रों के जबाब केवल हिन्दीं में ही देने का कष्ट करें।

सधन्यवाद!

Urgent
श्री सेमवाल
16/1/17
Asst. CEO

(लक्ष्मी नारायण ठाकुर)
11, अशोक रोड
नई दिल्ली
110001
मो. – 9560923616

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 516 /XXV–12 (1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 25 जनवरी, 2017

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
समस्त जिला निर्वाचन कार्यालय,
उत्तराखण्ड।

विषयः– सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 924 दिनांक 19 जनवरी, 2017 के साथ संलग्न श्री विजय सिंह, एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, रूद्रपुर, जिला उधमसिंहनगर के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 07 जनवरी, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
BS Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 516 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– श्री विजय सिंह, एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, रूद्रपुर, जिला उधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

BS Rawat 24-1-17
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 924 / रा.नि.आ.-1/2135 /2017

दिनांक :.......19/1/...2017

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

अनुभाग अधिकारी/
लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

श्री विजय सिंह, एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रूद्रपुर, जिला–ऊधमसिंहनगर का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 07.01.2017 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 18.01.2017 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया वांछित सूचना अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उक्त सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोधकर्ता द्वारा आवेदन शुल्क रू0 10/– एवं अतिरिक्त शुल्क के रूप में रू0 10/– अर्थात कुल रू0 20/– का भारतीय पोस्टल आर्डर जमा किया गया है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

19.01.17

(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820739

संख्या– /रा0नि0आ0–1/2135/2017 तद्‌दिनांक।(पंजीकृत)

प्रतिलिपिः– श्री विजय सिंह, एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रूद्रपुर, जिला–ऊधमसिंहनगर।

(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास ,रिंग रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 0135 - 2670457 , 2670998
टैलीफैक्स : 0135 - 2670920 , 2678945
ई - मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

845
18/1/17

(2135)

सेवा मे
श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय
उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग
देहरादून उत्तराखण्ड

विषय – प्रार्थना पत्र धारा 6(1) लो० सू० अधिकार अधि० 2005

महोदय

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि उत्तराखण्ड राज्य के विधान सभा निर्वाचन 2007, 2012 मे आचार संहिता का उल्लंघन करने वालो पर राज्य के प्रत्येक जनपद पर मुकदमे दर्ज किये गये है। आचार संहिता के उल्लंघन पर उत्तराखण्ड राज्य मे कितने मुकदमे दर्ज किये है तथा शासन ने क्या क्या कार्यवाही के आदेश पारित किये है। समस्त सूचना की आवश्यकता है।

अतः महोदय से प्रार्थना है कि उत्तराखण्ड राज्य मे विधान सभा निर्वाचन 2007, 2012 मे आचार संहिता उल्लंघन बावत कितने मुकदमे दर्ज किये गये थे तथा वर्तमान स्थिति का विवरण देने की कृपा की जाये।

प्रार्थी
VIJAY SINGH ADVOCATE
Distt. & Session Court, Rudrapur (U.S.Nag.)
विजय सिंह एडवोकेट
जिला एवं सत्र न्यायालय
परिसर रुद्रपुर
जिला ऊधमसिंह नगर

दिनांक 7/1/2017
संलग्न
I.P.O.
No 24G 738648
रु० 20/-

Received
19/1/17

SO-1/APIO/
श्री नयाल

कृ. अनुरोध पत्र PIO, CEO, UK को अन्तरित करने हेतु आलेख प्रस्तुत करें।
18.01.17
(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 517 /XXV–12 (1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 25 जनवरी, 2017

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 900 दिनांक 12 जनवरी, 2017 के साथ संलग्न श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री हीरा सिंह, ग्राम व पोस्ट रूडोली पट्टी वल्ला चौकोट, जिला अल्मोड़ा के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 01 जनवरी, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
BS Rawat
(बी0 एस0 रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 517 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री हीरा सिंह, ग्राम व पोस्ट रूडोली पट्टी वल्ला चौकोट, जिला अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

BS Rawat 24-1-17
(बी0 एस0 रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 900 / रा.नि.आ.-1/2132 /2017

दिनांक 12/1/2017

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

अनुभाग अधिकारी/
लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

Jt. C.E.O
(राधा रतूड़ी)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड
15-1-17

महोदय,

श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 हीरा सिंह, ग्राम व पोस्ट–रूडोली पट्टी वल्ला चौकोट, जिला–अल्मोडा का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 01.01.2017 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 11.01.2017 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति संलग्नक सहित संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उक्त सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोधकर्ता द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में राशन कार्ड की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

12.01.17
(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820739

श्री सेमवाल
16/1/17

संख्या– /रा0नि0आ0–1/2132/2017 तद्दिनांक।(पंजीकृत)

प्रतिलिपिः– श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 हीरा सिंह, ग्राम व पोस्ट–रूडोली पट्टी वल्ला चौकोट, जिला–अल्मोडा, उत्तराखण्ड।

ACEO/PIO
16.1.17

(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी वाईपास ,रिंग रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष : 0135 - 2670457 , 2670998
टैलीफैक्स : 0135 - 2670920 , 2678945
ई - मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

(2132) 815 13/11/17

रजि0 नं0 - 23

गढ़वाल - कुमॉऊ ग्रामीण अंशकालिक दाई संगठन

शाखा कार्यालयः-
चित्तौड़खाल बाजार
पो0 रूड़ोली, पट्टी वल्ला चौकोट
जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

श्रीमती सावित्री देवी
उपाध्यक्षा एवं समाज सेविका
ग्राम व पो0 रूड़ोली, पट्टी वल्ला चौकोट
जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)
फोनः- 08475800483

50-1/AP10

28/अ/8/17

12.01.17 लोक सूचना अधिकारी

(प्रमोद कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 826/01/2017 दिनांक 01/01/17

सेवा में,
लोक सूचना अधिकार/मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तराखण्ड
देहरादून

अनुरोधकर्ता - श्रीमति सावित्री देवी पत्नी स्व० हीरासिंह
ग्राम व पो० रुडोली पट्टी वल्ला चौकोट जिला अल्मोड़ा।

विषय - लोक सूचना अधिकार 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध।

महोदय, निम्न बिन्दुवार सूचना अपने कार्यालय अभिलेखानुसार दिलवाने की कृपा कीजिये।

① कि उत्तराखण्ड सीमा अन्तर्गत निवासरत कोली जाति समूह भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 की सूची में अंकित नहीं है न ही कोली जाति समूह के लोग अनुसूचित जाति के है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग द्वारा किन कार्यालय अभिलेखानुसार कोली जाति के व्यक्तियों को आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने की इजाजत देता है सूचना दिजिये।

② कि भारतीय संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार किसी भी जाति की उपजाति नहीं बनाई गई है फिर चुनाव आयोग कोई कोली जाति जो सवर्ण जाति है इस जाति के व्यक्तियों को शिल्पकार जाति की उपजाति बनाकर आरक्षित सीटों का उम्मीदवार चुनाव आयोग कार्यालय के किन नियमों के अन्तर्गत इजाजत देता है। प्रमाणित अभिलेखों की प्रतिलिपि अनुरोधकर्ता को दिलवाने की कृपा कीजिये

③ कि विधानसभा चुनाव 2017 में कोली जाति सवर्ण जाति में होगी या अनुसूचित जाति में। सूचना दीजिये।

सावित्री देवी

संलग्न - निःशुल्क सूचना हेतु अनुरोधकर्ता के बी०पी०एल० अनुवादक्यापी राशन कार्ड की छाया प्रति संलग्न है

13/1/17

...रत सरकार के आदेशानुसार उपभोक्ता राशन कार्ड का उपयोग परिचय पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा।

दिनांक 20/12/2017

प्रमाणित कर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर

परिवार के महिला मुखिया का नाम श्रीमती सावित्री देवी

पिता/पति का नाम श्री स्व. हीरा सिंह

मकान नं. ... वार्ड ... संख्या ...

ग्राम/मजरा/ग्राम सोली ... संख्या ...

ग्राम सभा सोली वि.ख. स्याल्दे तहसील स्याल्दे

परिवार के मुखिया का व्यवसाय कृषि

परिवार की कुल वार्षिक मौद्रिक आय 24000.00

एल.पी.जी. कनेक्शन संख्या ...

एस.बी.सी. ... डी.बी.सी. ... गैस नहीं है ...

गैस एजेन्सी/कम्पनी का नाम ...

उचित दर विक्रेता रजिस्टर का क्रमांक ...

दुकान का क्रमांक (20)

उचित दर विक्रेता का नाम श्री ~~श्रीमती~~ मोहन सिंह सोली

पूर्व राशन कार्ड का नम्बर 36186

कार्ड धारक का मोबाइल नम्बर ...

कार्ड धारक का वोटर आई.डी. नम्बर BSF0029201

कार्ड धारक का यू.आई.डी. नम्बर ...

कार्ड धारक का बैंक खाता संख्या 1212454 पो.ऑ

बैंक का नाम तथा शाखा ...

यूनिटों का विवरण	अंकों में	शब्दों में
	1	एक

दिनांक

ह. खाद्य अधिकारी पद नाम मोहर सहित

सोली

स्याल्दे

सावित्री देवी